$~61

* **दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

% निर्णय पारित हुआ : 05.02.2024

\+ रि.या.(सि.) 1421/2024

राजदेव सिंह यादव (एक्स-पोकॉम) ईडब्ल्यू ..... याचिकाकर्ता

बनाम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य ।

..... प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता:</u>

याचिकाकर्ता के लिए: श्री जय कृष्ण सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के लिए: कोई नहीं।

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला

<u>निर्णय</u>

<u>तुषार राव गेडेला, न्या. (मौखिक)</u>

<u>[कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई है]</u>

<u>सि.वि.आ. 6906/2024 (शीघ्र सुनवाई के लिए)</u>

1. यह धारा 151 सि.प्र.स, 1908 के तहत दायर एक आवेदन है जिसमें वर्तमान याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है।

2. चूंकि रिट याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए जल्दी।

सुनवाई की मांग करने वाले आवेदन की अनुमति दी जाती है।

3. याचिका पर आज ही विचार किया जाए।

4. आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

<u>रि.या.(सि.) 1421/2024</u>

5. यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाएं भी मांगी गई हैं:

> *"क परमादेश रिट या उचित रिट, आदेश या प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करें और उक्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की सूची में 5वां मार्च 2023 उक्त विज्ञापन के संदर्भ में, उसका नाम शामिल करें, और*

ख. कोई अन्य या अतिरिक्त राहत प्रदान करने वाला एक और प्रकार का आदेश जिसे वर्तमान न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत मानता है। जन्म आगे की तरह कोई अन्य या आगे की राहत प्रदान करने का आदेश जो वर्तमान न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझता है।"

4. याचिका से लिया गया याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार है*:* -

"आवेदक इस देश का नागरिक है और वह ईएसएम 2 "सेवा के लिए उत्तेजित" श्रेणी में एक विकलांग पूर्व सैनिक है। उन्होंने 15 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा की है और त्रुटिहीन रिकॉर्ड के साथ 15 वर्षों की बेदाग सेवा पूरी करने के बाद वर्ष 2021 में 31 अगस्त को उन्हें विधिवत सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कर दिया गया।

03 सितंबर 2022 को विज्ञापन संख्या 01/2022-एफसीआई के माध्यम से नोएडा एफसीआई उत्तरी शाखा द्वारा पात्र उम्मीदवारों (सामान्य, ओबीसी एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ पूर्व सैनिकों में से) की सभी श्रेणियों से एफसीआई एजी III (डिपो) के पद सहित विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन था। इस विज्ञापन में पूर्व सैनिकों के लिए कुल 14.5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध था, जिसमें से 4.5 प्रतिशत ईएसएम-2 विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणियों के लिए आरक्षित था।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ईएसएम-11 में दो श्रेणियां है अर्थात् i- "सेवा के लिए उत्तेजित" और ii- "सेवा के लिए समर्पित " जबकि उपर्युक्त विज्ञापन में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि उक्त रिक्ति ईएसएम-2

"सेवा से संबद्ध" श्रेणी के लिए भी थी। याचिकाकर्ता "सेवा के लिए उत्तेजित" श्रेणी में है।

उपरोक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 8 पर नोट 'IV' में कहा गया है कि "एक भूतपूर्व सैनिक या बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवार जो ऑनलाइन परीक्षाओं में उम्र, सीमा, अनुभव या योग्यता जैसे मानकों के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए गिना जाना है, न कि सामान्य रिक्तियों के लिए बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार की फिटनेस चयन के लिए उपयुक्त हो"। हालाँकि , इस विज्ञापन में मूलभूत त्रुटि थी और वह यह है कि इस पूरे विज्ञापन में बेंचमार्क विकलांगता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसका उल्लेख सामान्य अर्थ में किया गया है, जबकि पृष्ठ संख्या 3-4 पर उक्त विज्ञापन स्पष्ट रूप से विकलांगता की अपेक्षित डिग्री को परिभाषित करता है अर्थात ईएसएम-11 के अलावा अन्य उम्मीदवारों के मामले में भी 40 प्रतिशत 'सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार'।

इससे भ्रम पैदा हुआ क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, सैन्य सेवा में मानी जाने वाली विकलांगता दो प्रकार की होती है यानी i-सेवा के लिए उत्तेजित और ii-सेवा के लिए जिम्मेदार होती है और कई विभाग जैसे कि बीपीएस, बैंकिंग, एसएसबी / एसएससी 'ईएसएम-11 को सेवा में उत्तेजित' नहीं मानते हैं। इसलिए, यह प्रश्न कि क्या "ईएसएम-11 सेवा के लिए उत्तेजित" भी इस विज्ञापन के अनुसार क्षैतिज आरक्षण के लिए पात्र था, इस पूरे विज्ञापन में अनुत्तरित रहा।

इसके अलावा, 'भूतपूर्व सैनिक' शब्द को पृष्ठ संख्या-9 पर नोट 'vi' के बाद स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि "भूतपूर्व सैनिकों का

अर्थ है भारतीय नौसेना, सेना और भारतीय वायु सेना से किसी भी रैंक में एक व्यक्ति, (क) जो अपने स्वयं के अनुरोध पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या मुक्त किया गया हो या ऐसी सेवा से अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो (ख) और जिन्हें 'सैन्य सेवा के कारण' चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है। (ग) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है", आदि

उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि उपरोक्त विज्ञापन में "सैन्य सेवा के लिए समर्पित शर्तों " का विशिष्ट संदर्भ है, लेकिन "ईएसएम-11 सेवा में वृद्धि" को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित या उल्लेखित नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि उपरोक्त विज्ञापन 'सेवा के लिए उत्तेजित' शब्द के संदर्भ में मौन था, और इस प्रकार 'बेंचमार्क विकलांगता' शब्द का अर्थ आमतौर पर इस विज्ञापन के अनुसार "ईएसएम-11 सेवा में वृद्धि" को बाहर करने के लिए किया जाता है।

हालांकि, स्पष्टीकरण के लिए, याचिकाकर्ता ने 12/09/2022 को, उपरोक्त उपरोक्त विज्ञापन में सेवा के लिए बढ़े हुए ईएसएम-11 के संबंध में भ्रम को दूर करने के अनुरोध के साथ नोएडा में संबंधित डीलिंग अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन अधिकारियों ने यह भी समझा कि उक्त विज्ञापन केवल "सेवा के लिए समर्पित " के लिए था।

याचिकाकर्ता ने 04/10/2022 को विधिवत आवेदन किया और उक्त एफसीआई विज्ञापन के अनुसार निर्धारित फॉर्म भरते समय उसने उपरोक्त तथ्यों में ईएसएम-2 के संबंधित कॉलम को सही तरीके से नहीं भरा था और उसका

वास्तविक विश्वास था कि उक्त एफसीआई विज्ञापन ईएसएम-II की श्रेणी के लिए था "केवल सैन्य सेवा के लिए समर्पित था "।

इस प्रकार याचिकाकर्ता का वास्तविक कार्य स्वतः स्पष्ट है क्योंकि विज्ञापन कहीं भी यह नहीं दिखाता है कि "सेवा के लिए उत्तेजित" को विकलांग पूर्व सैनिकों के खिलाफ भी गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों से भिन्न अभ्यथयों के लिए अपेक्षित निशक्तता की डिग्री/प्रतिशतता को उपर्युक्त पृष्ठ 3-4 पर भारतीय खाद्य निगम के उक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट/उल्लिखित किया गया है लेकिन उक्त विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपेक्षित बेंचमार्क विकलांगता का कहीं भी परोक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता को अधिकांश सरकारी विभागों में सामान्य प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित किया गया था जो आईबीपीएस बैंकिंग और एसएससी जैसे ईएसएम -2 के रूप में "सेवा के लिए उत्तेजित" को मान्यता नहीं देते हैं।

परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता ने उपरोक्त परीक्षा में विधिवत रूप से उपस्थित होकर पेपर लिखा था।

चयनित उम्मीदवारों की सूची 01/06/2023 को जारी कर दी गई है, लेकिन "सेवा के लिए उत्तेजित" की श्रेणी के उम्मीदवारों को उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार ईएसएम-11 विकलांग पूर्व सैनिक के रूप में भी चुना गया है। आवेदक का चयन उपरोक्त सूची के अनुसार नहीं किया गया है, हालाँकि उन्होंने उपरोक्त परीक्षा में 'ईएसएम 11 'सेवा के लिए उत्तेजित" के रूप में भर्ती होने वालों से अधिक यानी 35.75 अंक प्राप्त किए हैं।

चूंकि सूची जारी की गई है, याचिकाकर्ता ने एफसीआई उत्तर क्षेत्र, मुख्यालय नोएडा में संबंधित एफसीआई अधिकारियों को कई बार लिखा था और उन्हें उपरोक्त तिथियों 07/10/2023 और 05/11/2023 को एफसीआई ईमेल आईडी recruitmentnz.fci@gov.in पर भेजे गए विभिन्न मेल के माध्यम से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से विधिवत अवगत कराया था।

याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी को 12/12/2023 को फिर से लिखा। याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी यानी डीजीएम श्री द्विवेदी से भी मुलाकात की है और याचिकाकर्ता को उनके पक्ष में सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया गया था और उन्हें जल्द से जल्द बुलाये जाने का अस्वासन दिया गया अभि तक प्रत्यर्थी को रिट याचिका की प्रति के साथ नोटिस भेजे जाने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई ।

याचिकाकर्ता ने इस माननीय उच्च न्यायालय में 22/12/2023 को रि.या.(सि.) दायर किया, इसे जनवरी 2024 में रि.या.(सि.)संख्या-589/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

याचिकाकर्ता को 09/11/2024 को प्रत्यर्थी से उनके विभिन्न संचारों का उत्तर प्राप्त हुआ, जिससे उनके मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने के उनके अनुरोध आवेदनों को खारिज कर दिया गया, जिसमें उपरोक्त विज्ञापन के सामान्य सूचना निर्देशों के तहत पृष्ठ संख्या 19 पर उल्लिखित बिंदु संख्या 7' को खारिज कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि "विज्ञापन को पढ़ने के बाद और पात्रता शर्तों, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा विकल्प का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।" पदों के लिए

निर्धारित, एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा, और किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त बिंदु संख्या -7 पर प्रतिवादी की निर्भरता पूरी तरह से बेतुका और जानबूझकर भ्रामक है और यह उपरोक्त बिंदु संख्या -7 में अनुचित आश्रय खोजने के इरादे को दर्शाता है, जबकि प्रतिवादी की अयोग्यता उक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या -19 पर सामान्य सूचना निर्देश के अवलोकन पर और स्पष्ट हो जाती है, जिसमें यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेवा में वृद्धि करने वाले ईएसएम-11 को भी विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ गिना जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि उपरोक्त अस्पष्ट विज्ञापन के अनुसार भर्ती के लिए उत्तरी क्षेत्र नोएडा द्वारा ESM11 को "सेवा के लिए उत्तेजित" के रूप में ESM11 विकलांग पूर्व सैनिक के रूप में माना गया है, लेकिन FCI के अन्य जोन ESM11 को "सेवा में वृद्धि" के रूप में नहीं मान रहे हैं। ESM-11 विकलांग पूर्व सैनिक, जैसा कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कहा है यदि उपरोक्त वर्णित तथ्यों और उपरोक्त विज्ञापन में घोषित 14.5% से सीटों की संख्या में कमी के मुद्दे पर इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए नम्र नोटिस के साथ तुलना की जाए, तो यह केवल इस विज्ञापन द्वारा बनाई गई भ्रम की स्थिति को दर्शाता है। कोई केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विज्ञापन में अयोग्यता अधिकारियों द्वारा बाद में हेरफेर के लिए जगह छोड़ने का एक स्पष्ट उदाहरण है।

इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त उत्तर लौकिक मुहावरेदार अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है "उल्टा चोर

कोतवाल को डांटे"। किसी भी तरह से प्रत्यर्थी उक्त एफसीआई विज्ञापन में अपनी अयोग्यता का बचाव नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, यह भी स्पष्ट रूप से उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार उपरोक्त फॉर्म भरते समय याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण/आचरण में केवल स्पष्ट रूप से स्पष्टता/स्पष्टवादिता को दर्शाता है। आवेदक की सदाशयता आत्म-व्याख्यात्मक है।

रिट याचिका (सि) संख्या 589/2024 22/12/2023 को दायर की गई थी और इसे इस माननीय न्यायालय की अनुमति से और अधिक भौतिक तथ्यों के साथ नए सिरे से दायर करने की अनुमति से वापस ले लिया गया था।"

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान वर्तमान याचिका के पृष्ठ संख्या 40 की ओर आकर्षित करते हैं जो विज्ञापन संख्या 01/2022-एफसीआई श्रेणी III का हिस्सा है और विशेष रूप से खंड 13 पर ध्यान दें। विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि हालांकि नोट एक पूर्व सैनिक या बेंचमार्क विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ व्यक्तियों को संदर्भित करता है और आवश्यक पात्रता शर्तों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ गिना जाना है, न कि सामान्य रिक्तियों के खिलाफ, चयन के लिए ऐसे उम्मीदवार की फिटनेस के अधीन।

6. वह प्रस्तुत करता है कि कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, कि किस प्रकार की बेंचमार्क विकलांगता इस तरह के आरक्षण के लिए योग्य होगी।

7. वह आगे इस न्यायालय का ध्यान उसी विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 41 की ओर आकर्षित करता है, विशेष रूप से, खंड 13 के नोट VI के स्पष्टीकरण (I)

पर, यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक भूतपूर्व सैनिक की एकमात्र परिभाषा या तो एक व्यक्ति है, जो सेवानिवृत्त या मुक्त या ऐसी सेवा से छुट्टी दे दी गई है या जिसे चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से "सैन्य सेवा के कारण" मुक्त किया गया है, अन्य शर्तों के अलावा, उसमें कहा गया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के मामले में, उसे "सैन्य सेवा के लिए उत्तेजित" और "सैन्य सेवा के लिए उल्लेखनीय" के आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।

9. विद्वान वकील दो श्रेणियों के बीच अंतर बताते हैं, कि "सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार" सैन्य कर्मियों द्वारा प्राप्त चोटें होंगी, जो प्रकृति में बहुत अधिक गंभीर हैं, और जो "सेवा के लिए गंभीर" हैं, वे कम डिग्री के होंगे । उनका कहना है कि चूंकि उपरोक्त दोनों शर्तों के बीच भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता यह समझने में असमर्थ है कि फॉर्म भरने के लिए क्या आवश्यकता है।

10. जिसके कारण, वह आगे इस न्यायालय को पृष्ठ संख्या 79 पर संदर्भित करता है, जो याचिकाकर्ता द्वारा भरा गया फॉर्म है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस तरह के भ्रम के कारण, जो प्रतिवादी द्वारा "सैन्य सेवा के लिए उत्तेजित" और "सैन्य सेवा के लिए समर्पित" के बीच स्पष्ट परिभाषा या अंतर नहीं होने के कारण बनाया गया था, याचिकाकर्ता भ्रमित हो गया और कॉलम नहीं भरा कि क्या वह एक विकलांग पूर्व सैनिक था।

11. जिसके कारण, विद्वान वकील ईएसएम-2 श्रेणी में याचिकाकर्ता के गैर-विचार को चुनौती देते हैं, जो कि विकलांग भूतपूर्व सैनिक श्रेणी है।

12. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और दस्तावेजों का अवलोकन भी किया है।

13. खंड 13 के नोट VI में संलग्न स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि यह आवश्यकता केवल पूर्व सैनिकों तक सीमित थी, जिन्हें सामान्य रूप से या चिकित्सा के आधार पर छुट्टी दे दी जाती है, जो "सैन्य सेवा के कारण" थे।

14. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा भरे गए पृष्ठ संख्या 79 पर आवेदन पत्र पर भी विचार किया है और यह स्पष्ट है कि जहां तक इसका सवाल है कि क्या वह एक पूर्व सैनिक था, याचिकाकर्ता ने सकारात्मक उत्तर दिया है और जबकि यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता एक विकलांग पूर्व सैनिक है, उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'नहीं'.

15. मामले को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को ईएसएम-2 श्रेणी, यानी विकलांग पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाला माना होगा। यह मुद्दा ही नहीं उठता कि क्या चिकित्सा आधारों के संबंध में परिभाषा खंड "सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार" या चिकित्सा आधार “सैन्य सेवा के लिए उत्तेजित" है।

16. याचिकाकर्ता ने अधिसूचना या विज्ञापन और उसमें दिए गए स्पष्टीकरणों को चुनौती भी नहीं दी है, और चयन प्रक्रिया में भाग लेने और

उसमें असफल होने के बाद, अब इन सभी मुद्दों को उठा रहा है, जो कार्योतर हैं .

17. यह न्यायालय ***मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य और अन्य*** में ***(2010) 12 एससीसी 576*** के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपात से मजबूत है, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। उक्त निर्णय का पैरा 16 यहां दिया गया है:-

> *"**16.** हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए 19% से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, याचिकाकर्ता चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, अगर याचिकाकर्ता का नाम मेरिट सूची में आया होता, तो उसने चयन को चुनौती देने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होता। **वही याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 1950 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के बाद ही उसने पाया कि उसका नामआयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में नहीं आता है। यहाँ याचिकाकर्ता का आचरण स्पष्ट रूप से उसे पूछताछ से वंचित करता है चयन और उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करना। इसमें संदर्भ मदन लाल बनाम भारत संघ के फैसले से संबंध बनाया जा सकता है। राज्य जम्मू और कश्मीर की संख्या [(1995) 3 एससीसी 486: 1995 एससीसी (एल एंड एस) 712: (1995) 29एटीसी 603], मैरिपति नागराज बनाम आंध्र प्रदेश सरकार [(2007) 11 एससीसी 522: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 68] , धनंजय मलिक***

<u>बनाम राज्य उत्तरांचल [(2008) 4 एससीसी 171: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 1005], अमलान ज्योति बरूआ बनाम असम राज्य [(2009) 3 एससीसी 227:(2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 627] और के .ए. नागमणि बनाम भारतीय एयरलाइंस [(2009) 5 एससीसी 515: (2009) 2 एससीसी (एल एंड एस) 57]</u>"

(महत्त्व सन्निविष्ट)

रमेश चंद्र शाह और अन्य बनाम अनिल जोशी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दृष्टिकोण को दोहराया है। (2013) 11 एससीसी 309 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने स्वयं यह खुलासा नहीं किया है कि वह एक विकलांग भूतपूर्व सैनिक था, इस सवाल पर आगे विचार किया गया कि क्या याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर "सैन्य सेवाओं के लिए उत्तेजित" किया गया था, स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थियों द्वारा भी विचार नहीं किया जा सकता था।

19. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

20. लंबित आवेदन के साथ याचिका खारिज की जाती है।

21. अगली तिथि पहले से ही निर्धारित की गई है यानी 30.04.2024 रद्द कर दी गई है।

न्या. तुषार राव गेडेला,

फ़रवरी 5, 2024/नड

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*